न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
127/2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	16.04.2019	04.09.2020

उनवान सरकार बनाम पुष्करदत्त शर्मा पुत्र रामप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

—: निर्णय :—

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का कलाखरी ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम कलाखरी की राजकीय भूमि ख0 न0 287 किस्म गै0 मु0 पहाड़ कुल रकबा 1.07 है0 मे से 0.03 है0 पर अतिक्रमी पुष्करदत्त शर्मा पुत्र रामप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कलाखरी ने अवैध रूप से पक्का मकान बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा उपस्थित होकर नोटिस जबाब पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिक्रमी द्वारा पेश दस्तावेजात के आधार पर अतिक्रमित भूमि 0.03 है0 में से 47 गज को छोड़कर शेष 0.0260 है0 भूमि पर अतिकमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि में पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से 0.0260 है0 भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 1.07/— का अतिक्रमण शुदा भूमि लगान 0.03 की 50 गुणा जुर्माना राशि 2/— बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

..ले. सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ.सं. 99
पर 2/- की मांग कायम की गई ।

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार बुहाना

Suman
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बुहाना